न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 77/2023
जीसीएमएस नम्बर :: 2023/168

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थी
1. हापाराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई, निवासी पालासनी, तहसील जोधपुर (राज.)		तहसीलदार, सोजत
2. जगाराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई, निवासी पालासनी, तहसील जोधपुर (राज.)		

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव
सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **27.01.2025**

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. के तहत ग्राम झूपेलाव तहसील सोजत के गत खसरा संख्या 594मिन हाल खसरा संख्या 998 राजस्व रेकर्ड में दिनांक 20.01.1992 से पूर्व की स्थिति प्रति स्थापित करते हुए माफिक बेचान दिनांक 17.012.1991 के प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने बाबत् पेश की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता मदनदास वैष्णव व सरकारी पैरोकार वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम झूपेलाव तहसील सोजत में कृषि भूमि के गत खसरा संख्या 594 मिन हाल खसरा संख्या 998 रकबा 3.09 हैक्टेयर का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.05.1971 को रूपा वल्द बिरदा राईका निवासी झूपेलाव के पक्ष में किया गया एवं मौके पर आवंटी को कब्जा सुपुर्द कर रूपा के नाम नामान्तरकरण संख्या 84 बतौर खातेदार के दिनांक 01.02.1983 को बाद जांच स्वीकार कर दिया। आवंटी रूपा द्वारा जैर आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों का हस्तानान्तरण जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.12.1991 को वर्तमान प्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया। तत्पश्चात जिला कलक्टर पाली के समक्ष रूपा के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1971 को निरस्त करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) तहसीलदार द्वारा पेश किया गया जिसमें तहसीलदार का प्रार्थना–पत्र स्वीकार आवंटी रूपा को किया गया उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वितीय के यहां करने पर माननीय न्यायालय ने जिला कलक्टर पाली के आदेश को यथावत रखा। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष करने पर माननीय न्यायालय ने जिला कलक्टर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय को अपास्त करते हुए जैर आवंटन को बहाल करने का निर्णय दिनांक 17.04.1996 पारित किया। चूंकि जिला कलक्टर पाली का आदेश दिनांक 20.01.1992 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त किया जा चुका है एवं इसके

परिणामस्वरूप मूल आवंटन आदेश बहाल हो चुका है जिस कारण राजस्व रिकॉर्ड में भी जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 20.01.1992 से पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना जरूरी है क्योंकि इसी आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 271 स्वीकार किया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम झूपेलाव तहसील सोजत के गत खसरा संख्या 594मिन हाल खसरा संख्या 998 राजस्व रेकर्ड में दिनांक 20.01.1992 से पूर्व की स्थिति प्रति स्थापित करते हुए माफिक बेचान दिनांक 17.012.1991 के प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में आवेदक द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह वर्णित है कि यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है एवं उच्चतर न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त कर दिया जाता है तो पुनः विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को प्रार्थी के आवेदन करने पर पुनर्स्थापन/restitution का अधिकार है। प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजी मौजा ग्राम झूपेलाव तहसील सोजत में कृषि भूमि के गत खसरा संख्या 594 मिन हाल खसरा संख्या 998 रकबा 3.09 हैक्टेयर का आवेदक या उसके पूर्वाधिकारी रूपा को आवंटन दिनांक 25.05.1971 को किया गया था। उक्त आवंटन को जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 20.01.1992 द्वारा तहसीलदार सोजत के आवेदन पर निरस्त कर दिया जिसकी अपील संख्या 38/92 दिनांक 30.06.1993 को आवंटी/उसके क्रेता द्वारा किया जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वितीय द्वारा खारिज कर दिया गया। माननीय न्यायालय, राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान द्वारा द्वितीय अपील संख्या 03/94/एलआर/पाली में अपने निर्णय दिनांक 17.04.1996 से उक्त आवंटन को बहाल करने का आदेश पारित किया अर्थात् माननीय न्यायालय, राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.04.1996 है जिसकी क्रियान्विति आवेदक चाहकर आवंटन की पूर्व स्थिति बहाल करने का निवेदन करता है। वस्तुतः आवेदक मूल आवंटी का क्रेता है। वर्ष 1996 के उक्त आवंटन बहाली के आदेश की क्रियान्विति/पुनर्स्थापन/restitution का आवेदन प्रस्तुत दिनांक 02.05.2023 अर्थात् आवंटन बहाल होने के करीब 30 वर्ष पश्चात प्रसतुत किया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुए 30 वर्ष विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया है और न ही अपने आवेदन में इस प्रकार का कोई विलम्ब स्पष्ट करने वाला कारण वर्णित किया है। न्यायालय हाजा द्वारा संबंधित तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी से मौका रिपोर्ट भी तलब की गई जिसमें कब्जे को लेकर संशय की स्थिति है। प्रकरण में वस्तुतः राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बने नियम है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जिस बाबत् व्याप्त प्रावधान नहीं है, उस हेतु जाब्ता दीवानी के प्रावधान जो कि केन्द्रीय कानून है, लागू होता है एवं उन्हीं प्रावधानों के तहत आवेदक द्वारा धारा 144 जाब्ता दीवानी के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

जैर प्रकरण में विधिक रूप से ही सम्पादन किया जाना वांछनीय होता है। प्रकरण में हम कब्जे की स्थिति को अत्यधिक महत्व नहीं देते हुए यदि प्रकरण की मौलिक स्थिति पर भी विचार करे तो यह प्रकट आता है कि सार्वत्रिक रूप से मियाद अधिनियम 1963 सार्वत्रिक रूप से सभी प्रकरण में लागू होता है एवं इस प्रकरण में उक्त अधिनियम को लागू नहीं किये जाने का कोई आधार नहीं है। जाब्ता अधिनियम मियाद अधिनियम 1963 की अनुसूची में धारा 137 पर जो कि आदेश की क्रियान्विति के लिये कानून में कोई प्रावधान नहीं है। उसके लिए अत्यधिक 03 वर्ष की अवधि निर्धारित है। इस प्रकरण में जिस आदेश की क्रियान्विति आवेदक चाहता है उसे 03 वर्ष के

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

स्थान पर 30 वर्ष गुजर चुके है एवं उक्त मियाद को मुजरा/शमन किये जाने के लिए कोई आधार एवं साक्ष्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नहीं दिया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मौखिक रूप से आवेदक द्वारा आवेदक के किसी कानूनी प्रक्रिया में सलंग्न होने का कथन किया है परन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। विधि के प्रावधानों के तहत 03 वर्ष की मियाद के स्थान पर 30 वर्ष की मियाद को शमन किये जाने का हमारे पास कोई विधिक आधार नहीं है। अतएव हम इस आधार पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान के आदेश दिनांक 17.04.1996 के आदेश का पुनर्स्थापन/restitution नहीं कर सकते। अपीलाण्ट चाहे तो उचित विधिक उपचार के साथ सक्षम न्यायालय में उक्त आदेश की पालना में राहत प्राप्त करने को स्वतंत्र है।

लिहाजा समग्रतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम आवेदक का जैर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. बेरून मियाद होने खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली